

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।  
17, न्यूबेरी रोड डाली बाग, लखनऊ  
/01/स्था0/सी०

पत्र संख्या

दिनांक 25-10-2017

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक विभाग द्वारा अध्यारोही प्रभाव की उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली में त्रिस्तरीय पद परिभाषित हैं, जिसमें सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी(सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैंड-2 (रु 9300-34800, ग्रेड पे रु0 4200), अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैंड-2 (रु0 9300-34800, ग्रेड पे रु0 4600), तथा अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वेतनमान वेतन बैंड-3 (रु0 15600-39100, ग्रेड पे रु0 5400) के पद सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2017/13(10)/2004 टी.सी./का-1-2017 दिनांक 03 सितम्बर, 2017 के क्रम में गन्ना विकास विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के राजकीय अपर सांख्यिकीय अधिकारी वेतनमान वेतन बैंड-2 (रु0 9300-34800, ग्रेड पे रु0 4600) के पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

संलग्न-यथोक्त।

( संजय आर. भूसरेड्डी )  
आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या 2205/सी / तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, लखनऊ।
- 2-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3-वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 4-आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 5-समस्त संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त सम्बन्धित कार्मिक।
- 8-श्री वरुण राय, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

( के०एन० उपाध्याय )  
संयुक्त गन्ना आयुक्त (प्रशासन)